न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 165/2018 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

1— मदनलाल आत्मज किशनलाल, आयु 60 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हड़मतिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— श्रीमती लीलाबाई बेवा बापू लाल, आयु 60 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हड़मतिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— बालाराम आत्मज किशनलाल, आयु 75 साल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हड़मतिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— जगदीश आत्मज किशनलाल, आयु 45 साल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हड़मतिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अमितोषाचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.12.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 95/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 द्वारा एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 सपठित 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि ग्राम हडमतिया तहसील पचपहाड़ में मुताबिक सम्वत 2070 – 73 खाता संख्या 103 खसरा नम्बर 526 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है जो कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते में दर्ज रिकार्ड है । अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के पिता स्वर्गीय किशनलाल द्वारा नौतोड़ से तैयार कृषि योग्य बनाई लेकिन रेस्पोडेंट नम्बर 1 बालाराम द्वारा पिता के साथ धोखाधड़ी कर उक्त आराजी अपने नाम खाते बंधवा ली । साथ ही पिता जी ने उक्त आराजी को उनके चारों पुत्रों क्रमश मदनलाल, जगदीश, बापूलाल, व बालाराम को 1/4 – 1/4 भाग मौके पर बांट कर मेड़ डलवाकर कब्जा संभला दिया जिसको करीब काफी अरसा हो गया और राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में उक्त विवादित आराजी रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अवाप्त कर ली गई । अवाप्त की गई आराजी अपीलांट वादी नम्बर 1 के हिस्से व कब्जे काश्त की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना प्रकरण को निर्णित किया गया है जिससे न्यायोचित निर्णय पारित करने में बाधा उत्पन्न हुई है । अतः अपील को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा